



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज)

कमांक एफ 701(7)पंरावि/प्रशा.1/क.अ./स.अ./स्थाना.पद./विविध/2021/4993 जयपुर दिनांक- 21.11.22

—: आदेश :-

निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं—

क्र. सं.	नाम सर्व श्री	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	आनन्द कुमार	पंचायत समिति पीपाडशहर जिला जोधपुर	पंचायत समिति बिलाडा जिला जोधपुर	रिक्त पद पर
2.	करणी सिंह धालीवाल	पंचायत समिति रानीवाडा जिला जालौर	पंचायत समिति सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर

उपरोक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करते/कराते हुये यदि किसी स्थान पर स्वीकृत पदों से अधिक सहायक अभियन्ता कार्यरत हो गये हो, तो नव-पदस्थापित अभियन्ता को कार्यग्रहण करवाकर 3 दिवस में विभाग को पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करावें तथा यदि किसी अभियन्ता द्वारा कार्यग्रहण करने में विलम्ब किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय परिपत्र कमांक 1346 दिनांक 14.9.2020 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। उपरोक्त अभियन्ताओं को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलक्टर, सम्बधित।
9. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बधित।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बधित।
11. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बधित अभियन्ता को पालनार्थ।
13. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)